



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 24/2026/D-104

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 311408 दिनांक 03/07/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Asha Bhargava W/o Murli Babu Bhargava	मूरली बाबु भार्गव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव	33	200.00 SQ. METER	JDA	PITAMBRA YOJANA Sector/Block-G	Name Transfer	जविप्रा की आवासीय योजना पिताम्बरा के भूखण्ड सं. जी-33 क्षेत्र. 200.00 वर्ग मी. की लीजडीड श्री मूरली बाबु भार्गव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव को दिनांक 14.05.2015 को जारी की गई। श्री मूरली बाबु भार्गव पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव द्वारा दिनांक 18.02.2022 को तैयार करवाये गये रजिस्टर्ड वसीयतनामा के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि उनकी मृत्यु उपरान्त उक्त भूखण्ड का स्वामित्व पूर्ण रूप से उनकी पत्नी श्रीमती आशा भार्गव पत्नी श्री मूरली बाबु भार्गव



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

को प्राप्त होगा।
श्री मूरली बाबु
भार्गव पुत्र श्री
लक्ष्मी नारायण
भार्गव की मृत्यु
दिनांक
17.05.2025 को
हो गई।
आवेदनकर्ता
श्रीमती आशा
भार्गव पत्नी स्व०
श्री मूरली बाबु
भार्गव द्वारा उक्त
भूखण्ड का नाम
हस्तान्तरण हेतु
आवेदन प्रस्तुत
किया है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Asha Bhargava W/o Murli Babu Bhargava को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।